

1. श्री शैलेश गिरी
एडीशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. श्री गुलाब चन्द्र,
ज्वाइन्ट कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

मुख्यालय पर प्राप्त अगस्त माह के विवरण एमपीआर 5(2A, 2B, 2C) के अनुसार दिनांक 01.09.2018 को गाजियाबाद, मुरादाबाद व लखनऊ विभागीय वसूली वाले जनपदों की बकाया वसूली की स्थिति इस पत्र के साथ संलग्न कर, आप दोनों को निम्नवत बिन्दुओं पर जांच हेतु निर्देशित किया जाता है :-

1. अभिलेखों व पत्रावलियों की स्थिति।
2. 11 सूत्रीय/22 सूत्रीय में लम्बित धनराशि की आर०सी० वार स्थिति।
3. बड़ी धनराशि के मा० न्यायालय में दायर मामलों में मा० न्यायालय से जारी स्थगन के लम्बित मामलों की सूची व उक्त मामलों में स्थगन समाप्त कराने हेतु की गयी पैरवी की स्थिति।
4. बड़ी वसूली प्रमाण पत्रों के पत्रावलियों की स्थिति/सूची।

आप उपर्युक्त जांच के लिए आवश्यकतानुसार अपने अधिकारियों/संख्याधिकारियों व आडिट टीम के साथ उक्त तीनों जनपदों में जाकर दिनांक 01.04.2018 को कुल आर०सी० की संख्या व धनराशि तथा उसके बाद क्रमिक माहों में/दिनांक 31.08.2018 तक वसूल की गयी धनराशि/निस्तारित आर०सी० व अन्य मदों में अवरूद्ध/स्थगित धनराशि की खण्डवार वास्तविक स्थिति अभिलेखानुसार जांच करके वस्तु स्थिति से कमिश्नर महोदया को दिनांक 31.10.2018 तक अवगत कराना सुनिश्चित करें। यह पत्र कमिश्नर महोदया के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन व पत्र संख्या उक्त।

प्रतिलिपि:-एडी०कमि० ग्रेड-1, वाणिज्य कर गाजियाबाद जोन प्रथम/द्वितीय, मुरादाबाद व लखनऊ जोन प्रथम/द्वितीय को इस निर्देश के साथ कि मुख्यालय की टीम को बकाया के समस्त अभिलेख अवलोकनार्थ उपलब्ध कराये तथा अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

19/10/18

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।